

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 820/2020

Priya D/o Gajraj Singh, Aged about 15 Years, Minor through Natural Guardian Father Gajraj Singh S/o Banay Singh, R/o Village Mai, Tehsil Nadbai, District Bharatpur, Rajasthan.

----Appellant

Versus

1. Anil Kumar S/o Chandra Prakash, R/o Plot No. 03, Ram Nagar, Nai Sabji Mandi, Alwar (Owner of Bolero Camper No. RJ-05-GA-4146).
2. Dal Chand S/o Vegraj, R/o Joshi Mohalla, Kasba Nagar, District Bharatpur (Driver of Bolero Camper No. RJ-05-GA-4146).
3. National Insurance Company Limited through Manager, National Insurance Company Limited, Branch office Nai Mandi, Station Road, Bharatpur. (Insurance Company Of Vehicle Bolero Camper No. RJ-05-GA-4146).

----Respondents

For Appellant(s)	: Mr. Navankur Dubey, Adv.
For Respondent(s)	: Mr. Raaj Pal Chaudhary, Adv. (For Insurance Company)

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

08/12/2025

1. अपीलार्थिया प्रिया की ओर से जरिये संरक्षक पिता गजराज सिंह द्वारा यह अपील धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, भरतपुर (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-1648/2016, प्रिया बनाम अनिल कुमार वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 06.11.2019 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. विद्वान अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 15.02.2011 के द्वारा अपीलार्थिया को 1,11,855/- रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई थी। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थिया द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दीवानी विविध अपील संख्या 2582/2011 संस्थित की गई। इस न्यायालय द्वारा उक्त अपील का दिनांक 30.05.2016 को निस्तारण करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट दिनांक 30.01.2016 को विवाद्यक संख्या 3 के संबंध में निकाले गये निष्कर्ष की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रस्तुत विधिक दृष्टान्तों में दिये गये मार्गदर्शन के प्रकाश में व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली उक्त विवाद्यक संख्या 3 पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु विद्वान अधिकरण को रिमाण्ड की गई थी। तत्पश्चात विद्वान अधिकरण द्वारा दिनांक 06.11.2019 को विवाद्यक संख्या 3 की हद तक पुनः निर्णय पारित कर 2,16,292/- रुपये की राशि अपीलार्थिया को दिलवाई गई। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थिया की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थिया प्रिया द्वारा जरिये संरक्षक पिता गजराज सिंह के विद्वान अधिकरण के समक्ष, स्वयं के मोटर वाहन दुर्घटना में आहत हो जाने के फलस्वरूप कुल 5,55,500/- रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका में अपीलार्थिया को कुल 2,16,292/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 06 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थिया की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

4. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थिया का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को आय की क्षति के मद में गुणक के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि नहीं दिलवाई जाकर त्रुटि कारित की है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थिया का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य की प्रत्याशा की मद में, शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में तथा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में भी समुचित राशि नहीं दिलवाई है तथा

अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थिया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थिया की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त Hitesh Nagjibhai Patel Vs. Bababhai Nagjibhai Rabari & Anr., Civil Appeal No.10278/2025 (Arising Out of SLP (C) No. 14444/2025) पेश किया गया।

5. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कंपनी की ओर से अपीलार्थिया के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थिया की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. हस्तगत मामले की दुर्घटना में अपीलार्थिया को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप उसके शरीर पर कुल 70 प्रतिशत की स्थाई निर्योग्यता आना पाया गया है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टान्त **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa Lamzane & Anr. Reported in (2018) 9 Supreme Court Cases**

450, में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :-

"12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries."

"13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v.

National Insurance Co. Ltd. explained "just compensation" in the following words:"

"15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

8. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 17.07.2009 की बताई गयी है तथा वक्त घटना आहता को 5वीं कक्षा में अध्ययनरत होना बताया गया है। किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को आय की क्षति के मद में गुणक के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि नहीं दिलवाई जाकर शारीरिक व मानसिक उत्पीडन, भविष्य में इलाज हेतु आय की हानि, व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव इत्यादि के पेटे एकमुश्त क्षतिपूर्ति राशि 2,00,000/- रुपये दिलवाई गई है, जो त्रुटिपूर्ण है। यहां यह सुस्थापित विधि है कि जिन मामलों में आहत/मृतक की आय प्रमाणित नहीं हो, वहां आहत/मृतक को अकुशल, अर्द्धकुशल व कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसकी आय निर्धारित की जानी चाहिए। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **Hitesh Nagjibhai Patel Vs. Bababhai Nagjibhai Rabari**

& Anr., Civil Appeal No. 10278/2025 (Arising Out of SLP (C)

No. 14444/2025) में यह मत व्यक्त किया है कि :—

"9. On the aspect of monthly income of the minor appellant, we are inclined to interfere with the judgment and order of the Courts below. In the present case, it is evident that the Courts below have failed to take into account the monthly income of the appellant while determining the quantum of compensation. It is now a well-entrenched

and consistently reiterated principle of law that a minor child who suffers death or permanent disability in a motor vehicle accident, cannot be placed in the same category as a non-earning individual for the purposes of assessing the amount of compensation because the child was not engaged in gainful employment at the time of the accident. In such a case, the computation of compensation under the head of loss of income ought to be made by adopting, at the very least, the minimum wages payable to a skilled workman as notified for the relevant period in the respective State where the cause of action arises. The said observation was rendered by this Court, in *Kajal v. Jagdish Chand and Ors.*, and *Baby Sakshi Greola v. Manzoor Ahmad Simon and Anr.*"

9. ऐसी स्थिति में हम, **Hitesh Nagjibhai Patel (supra)** के मामले में पारित मत से सहमत होते हुए इस मामले में आहता/बालिका को कुशल श्रमिक होना मानते हुए घटना की तिथि 17.07.2009 को दृष्टिगत रखते हुए तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसकी आय निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। चूंकि वर्ष 2009 व 2010 में राजस्थान राज्य में न्यूनतम मजदूरी की कोई दर निर्धारित नहीं की गई थी तथा वर्ष 2008 व 2011 में कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी की दर क्रमशः 115/— व 155/— रुपये थी। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय दुर्घटना दिनांक 17.07.2009 को अपीलार्थिया की दैनिक आय 140/— रुपये प्रतिदिन अर्थात् 4,200/— रुपये मासिक निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया की उक्त निर्धारित मासिक आय पर भविष्य में होने वाली आय की बढ़ोतरी के मद में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है। वक्त घटना अपीलार्थिया 5 वर्षीय बालिका थी। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य: (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थिया की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित मासिक आय 4,200/— रुपये में 40 प्रतिशत

अर्थात् 1,680 /— रुपये की बढ़ोतरी किया जाना अपेक्षित है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत अपीलार्थिया की कुल शुद्ध मासिक आय 5,880 /— रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति निर्धारण का आधार रहेगी।

10. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थिया का बांया पैर घुटने के नीचे से कट जाना जाहिर है। जिसके सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थिया के शरीर में कुल 70 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थाई निर्योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदर्श-6 के अवलोकन से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थिया को भविष्य में होने वाली आय में भी 70 प्रतिशत की कमी होना प्रमाणित पाते हैं। तदनुसार अपीलार्थिया की मासिक आय 5,880 /— रुपये का 70 प्रतिशत 4,116 /— रुपये होती है, जो अपीलार्थिया को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। वक्त घटना अपीलार्थिया की आयु 5 वर्ष होना जाहिर है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थिया को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु अपीलार्थिया की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 18 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार अपीलार्थिया को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति $4,116 \times 12 \times 18 = 8,89,056$ /— रुपये होती है, जो अपीलार्थिया प्राप्त करने की अधिकारी है।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को कारित चोटों के कारण हुए शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न, भविष्य में होने वाली कठिनाई, व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव इत्यादि के पेटे एकमुश्त 2,00,000 /— रुपये की राशि दिलवाई गई है। उक्त मदों में हम अपीलार्थिया को पृथक-पृथक राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में तथा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की मद में भी पृथक से कोई राशि अपीलार्थिया को नहीं दिलवाई गयी है। ऐसी स्थिति में हम, अपीलार्थिया के शरीर पर आई स्थाई निर्योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थिया को

शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 70,000/- रुपये तथा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में 70,000/- रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा पौष्टिक आहार की मद में तथा अस्पताल आने-जाने हेतु यातायात पर व्यय हुई राशि के मद में पृथक से कोई राशि अपीलार्थिया को नहीं दिलवाई गयी है। इस संबंध में यह स्वभाविक है कि अपीलार्थिया को कारित चोटों के फलस्वरूप उसे विशेष डाईट की आवश्यकता रही होगी तथा अस्पताल आने-जाने हेतु भी परिवहन पर राशि खर्च हुई होगी। ऐसी स्थिति में हम, पौष्टिक आहार की मद में 25,000/- रुपये तथा यातायात पर व्यय राशि के मद में 20,000/- रुपये की राशि अपीलार्थिया को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

14. दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थिया 6 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही है। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को 350/- रुपये प्रतिदिन की दर से उक्त मद में 2,100/- रुपये की राशि दिलवाई गई है। जिसमें बढ़ोतरी किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः अपीलार्थिया को इस मद में हम 600/- रुपये प्रतिदिन की दर से कुल 3,600/- रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

15. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को इलाज पर खर्च हुई राशि के मद में 7,192/- रुपये तथा अपीलार्थिया को कारित एक गंभीर चोट व दो साधारण चोटों की मद में कुल 7000/- रुपये की राशि दिलवाई गई है, जिनमें कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

16. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को परिचारक/सहायक की मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। दुर्घटना के पश्चात अपीलार्थिया का बांया पैर घुटने के नीचे से काटा जाना जाहिर है, जिस कारण अपीलार्थिया अपना शेष जीवन दूसरों के सहारे जीने हेतु बाध्य हो गई है। ऐसी स्थिति में हम, अपीलार्थिया को परिचारक/सहायक की मद में 1,50,000/- रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

17. ईलाज के दौरान अपीलार्थिया का बांया पैर घुटने के नीचे से कट गया है। अतः अपीलार्थिया द्वारा भविष्य में कृत्रिम अंग (आर्टिफिशियल लिम्ब) लगवाये जाने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त मद में हम 50,000/- रुपये की राशि अपीलार्थिया को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

18. विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में अपीलार्थिया के विवाह में आने वाली कठिनाईयों की मद में पृथक से कोई राशि अपीलार्थिया को नहीं दिलवाई गई है। दौराने इलाज अपीलार्थिया का बांया पैर घुटने के नीचे से कट जाना जाहिर है। ऐसे में भविष्य में अपीलार्थिया के विवाह की संभावनाओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मद में हम, अपीलार्थिया को 1,00,000/- रुपये की राशि पृथक से दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

19. उक्तानुसार अपीलार्थिया/क्लेमेंट्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी हैं :-

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	8,89,056/- रुपये
2.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में	70,000/- रुपये
3.	भविष्य की सुख-सुविधा की कमी के मद में	70,000/- रुपये
4.	पौष्टिक आहार की मद में	25,000/- रुपये
5.	अस्पताल आवागमन की मद में	20,000/- रुपये
6.	22 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	3,600/- रुपये
7.	इलाज पर खर्च हुई राशि के मद में	7,192/- रुपये
8.	एक गंभीर व दो साधारण चोटों की मद में	7,000/- रुपये
9.	परिचायक/सहायक की मद में	1,50,000/- रुपये
10.	कृत्रिम अंग लगवाये जाने की मद में	50,000/- रुपये
11.	भविष्य में विवाह में आने वाली कठिनाईयों की मद में	1,00,000/- रुपये
12.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि	13,91,848/- रुपये
13.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	2,16,292/- रुपये
14.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	11,75,556/- रुपये

20. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थिया/क्लेमेंट को

2,16,292 /— रुपये दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर 13,91,848 /— रुपये का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थिया द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थिया प्राप्त करने की अधिकारी पाई जाती हैं।

21. इस आदेश द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थिया, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने की अधिकारी हैं।

22. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

23. आदेश की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित अधिकरण को लौटाया जावे।

24. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J